भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2464

13 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

महाराष्ट्र में 'जल ही अमृत' योजना

†2464. डॉ. बच्छाव शोभा दिनेशः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार देश भर में 'जल ही अमृत' योजना लागू कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त योजना की प्रक्रिया और मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) देश में उक्त योजना के अंतर्गत स्वीकृत/चल रही परियोजनाओं और निधि आवंटन का राज्यवार और महाराष्ट्र में जिलावार ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र के नासिक, धुले और मालेगांव में की गई/की जा रही कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केंद्र सरकार को पिछले पांच वर्षों के दौरान नासिक, धुले और मालेगांव के लिए महाराष्ट्र सरकार या किसी जनप्रतिनिधि से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(च) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (च): स्वच्छता राज्य का विषय होने के कारण शहरों/कस्बों में सीवरेज और सेप्टेज प्रणाली का प्रबंधन करना राज्य सरकारों और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/शहरी विकास प्राधिकरणों की जिम्मेदारी है। हालांकि, भारत सरकार अपने विभिन्न प्रमुख मिशनों जैसे अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) और अमृत 2.0 के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में सीवरेज और सेप्टेज इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसी बुनियादी सेवाएं प्रदान करने के राज्यों और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के प्रयासों में मदद करती है।

अमृत 2.0 सुधारों के तहत "जल ही अमृत" वर्ष 2024-25 में शुरू की गई एक उप-योजना है, जिसका उद्देश्य निरंतर आधार पर पर्यावरण मानकों को पूरा करने वाले पुन:प्रयोग योग्य शोधित जल के लिए सीवेज शोधन संयंत्रों का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को प्रोत्साहित करना है। इस उप-योजना का प्रमुख कार्य क्षमता निर्माण और शोधित अपशिष्ट प्रवाह में गुणात्मक सुधार को प्रोत्साहित करना है। इस पहल का लक्ष्य जल के पुन: उपयुक्त उपयोग के अवसर पैदा करना है, जिससे मिशन के तहत जल उपलब्धता बढ़ाकर जल सुरक्षा के समग्र लक्ष्य को पूरा करने में योगदान मिलेगा।

यह पहल मौजूदा सीवेज शोधन संयंत्रों (एसटीपी) को प्रोत्साहन देने के लिए है, न कि नई परियोजनाओं को स्वीकृति देने के लिए। इस उप-योजना के तहत मौजूदा एसटीपी की भागीदारी स्वैच्छिक है।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत डेस्कटॉप मूल्यांकन, क्षेत्रीय सत्यापन, जल गुणवत्ता परीक्षण के आधार पर भाग लेने वाले एसटीपी का मूल्यांकन करने और उसके बाद अंतिम मूल्यांकन के आधार पर पात्र एसटीपी को छह महीने की वैधता के साथ स्टार रेटिंग प्रमाण पत्र जारी करने का प्रावधान किया गया है। विभिन्न समूहों में 3-स्टार और उससे अधिक रेटिंग वाले एसटीपी के लिए प्रोत्साहन राशि इस प्रकार है:

स्टार रेटिंग	समूह - 1	समूह - 2	समूह - 3	समूह – 4	समूह – 5
	शोधन क्षमता वाले एसटीपी				
	< 5 एमएलडी	5 से <10 एमएलडी	10 से <50 एमएलडी	50 से <100 एमएलडी	100 एमएलडी और उससे अधिक
*****	0.75 करोड़	1.5 करोड़	4 करोड़	6 करोड़	8 करोड़
****	0.5 करोड़	1 करोड़	2 करोड़	3 करोड़	5 करोड़
***	0.25 करोड़	0.75 करोड़	1 करोड़	2 करोड़	2 करोड़

इस कार्यक्रम के लिए 70:30 प्रोत्साहन रिलीज संरचना को अपनाया गया है, जिसमें आवश्यक शर्तों को पूरा करने के बाद एसटीपी को 70% प्रोत्साहन जारी किया जाता है और शेष 30% प्रोत्साहन अगले छह महीनों के लिए अपनी स्टार रेटिंग बनाए रखने पर दिया जाता है। 4 स्टार और 3 स्टार रेटिंग वाले एसटीपी अगले वर्ष तक अपने मानकों को क्रमशः 5 स्टार और 4 स्टार रेटिंग में अपग्रेड करने पर उच्च रेटिंग के लिए निर्धारित शेष प्रोत्साहन के लिए पात्र हो जाते हैं।

संबंधित एसटीपी को उप-योजना के अंतर्गत जारी प्रोत्साहन का उपयोग प्रचालन दक्षता में सुधार, प्रौद्योगिकी उन्नयन, पुनः उपयोग इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए पूंजीगत व्यय, वास्तविक समय डाटा प्रबंधन प्रणाली (ओसीईएमएस एवं एससीएडीए आदि) की स्थापना तथा कर्मचारियों के क्षमता निर्माण के लिए करना है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा एक ऑनलाइन मॉड्यूल विकसित किया गया है तथा यूएलबी/एसटीपी ने अमृत 2.0 पोर्टल पर इस मॉड्यूल पर अपनी जानकारी/विवरण प्रस्तुत किया है। कुल 860 सीवेज शोधन संयंत्रों ने मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जानकारी प्रस्तुत की है। इस योजना के तहत प्रोत्साहन के लिए नामांकित जिलों और एसटीपी की राज्य-वार संख्या अनुलग्नक में दी गई है। महाराष्ट्र के 84 सीवेज शोधन संयंत्रों ने ऑनलाइन पोर्टल पर जानकारी प्रस्तुत की है, जिसमें नासिक जिले/यूएलबी के 11 एसटीपी शामिल हैं। हालांकि, मालेगांव और धुले शहर/शहर के किसी भी एसटीपी ने इस योजना के तहत मूल्यांकन के लिए जानकारी प्रस्तुत नहीं की है।

*****

महाराष्ट्र में 'जल ही अमृत' योजना के संबंध में दिनांक 13.03.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2464 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जिलों की संख्या	मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से नामांकित एसटीपी की संख्या (सूचना प्रस्तुत करने वाले)
1	आंध्र प्रदेश	3	9
2	बिहार	4	7
3	चंडीगढ़	1	6
4	छत्तीसगढ़	6	11
5	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	1	1
6	दिल्ली	1	15
7	गुजरात	4	41
8	हरियाणा	12	52
9	हिमाचल प्रदेश	2	7
10	जम्मू और कश्मीर	4	14
11	झारखंड	2	10
12	कर्नाटक	30	162
13	केरल	8	19
14	मध्य प्रदेश	14	35
15	महाराष्ट्र	12	84
16	मणिपुर	1	1
17	ओडिशा	5	10
18	पंजाब	21	90
19	राजस्थान	25	92
20	तमिलनाडु	14	45
21	तेलंगाना	8	48
22	त्रिपुरा	1	1
23	उत्तर प्रदेश	23	45
24	उत्तराखंड	7	21
25	पश्चिम बंगाल	5	34
	कुल	214	860